UPKS010044562025

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट, कौशाम्बी।</u>

परिवाद संख्या-395/2025

रामदुलारे बनाम रामाधीन आदि।

<u>दिनांक-14.07.2026</u>

01. पत्रावली आदेशार्थ नियत है। बहस तलबी पर परिवादी व विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

02. संक्षेप में परिवादी का कथन है कि प्रार्थी/परिवादी से विपक्षी रामाधीन पुत्र देवीदीन निवासी पश्चिम शरीरा तथा हीरा लाल पुत्र रामप्यारे निवासी ग्राम अमरूपुर, थाना-पश्चिम शरीरा, जनपद-कौशाम्बी ने 1,50,000/-रू० (एक लाख पचास हजार रूपये) मॉह जून सन् 2023 में कर्ज के रूप में लिया था और कहा था कि समय पर वापस कर देगें। प्रार्थी लगभग 1 वर्ष तक इन्तजार करता रहा और एक वर्ष बाद जब प्रार्थी ने पैसा मांगा तो आज कल कहकर टाल दिये। प्रार्थी काफी हताश हो गया, परन्तु प्रार्थी का पैसा वापस नहीं किया। दिनांक-28.08.2025 को समय करीब 03:00 बजे दोपहर प्रार्थी अपना पैसा मांगने रामाधीन पुत्र देवीदीन के घर गया तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद हीरा लाल भी मिल गये। प्रार्थी ने अपने पैसे की मांग की तो रामाधीन व हीरा लाल ने कहा कि हम तुम्हारा कल पूरा हिसाब कर देगें। दूसरे दिन दिनांक 29.08.2025 को शाम लगभग 05:00 बजे उपरोक्त दोनो लोग प्रार्थी के दरवाजे पर आये और कहे कि तुम हिसाब कर अपना पैसा ले लो, हमारे दरवजे मत आया करो, तुम हमारे घर आकर हमारा अपमान करते हो। प्रार्थी दोनों लोगों को अपने घर के अंदर कमरे में बैठाया और पैसा का हिसाब कर 1,50,000/-रू० देने को कहा तो दोनों लोग कहे कि तुमने हमको पैसा नगद दिया है, तुम्हारे पास कोई लेखा जोखा नहीं है, हम पूरा पैसा नही देगें। तभी वाद विवाद हो गया और दोनों लोग प्रार्थी को धोबी साले मादरचोद जाति सूचक गाली देते हुए घर के अंदर कमरे में लात, घूसों से पटक-पटक कर मारने लगे और कहे कि आज के बाद पैसे का नाम लिया तो जान से मार देगें। शोरगुल की आवाज पर मुहल्ले के लोग आ गये तो उपरोक्त दोनो लोग कहीं शिकायत करने पर जान से मार देने की धमकी देते हुए चले गये। प्रार्थी ने दूसरे दिन थाने पर प्रार्थनापत्र दिया तो थाने वालों ने कहा कि एक सप्ताह का समय दो तुम्हारा पूरा पैसा दिला देगें। परन्तु एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी प्रार्थी का न तो पैसा वापस मिला और न ही रिपोर्ट लिखी गयी। विपक्षीगण ने प्रार्थी के साथ ठगी कर प्रार्थी का पैसा हड़प लिये और मांगने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार विपक्षीगण को तलब कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

03 परिवादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में अन्तर्गत धारा- 223 बी.एन.एस.एस. के तहत स्वयं का बयान पी.डब्ल्यू-1 के रूप में व पी0 डब्लू-2 के रूप में लवलेश कुमार एवं पी0 डब्लू-3 के रूप में साक्षी छोटे लाल का बयान अंकित कराया गया।

04. परिवादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. में कथन किया है कि *"मेरे गांव के रामाधीन पुत्र देवीदीन तथा हीरालाल पुत्र रामप्यारे निवासी अमरुपुर, ने मुझसे जून 2023 में डेढ लाख रुपया कर्ज के रुप में लिया था। लगभग एक वष बीत जाने के बाद मैं अपना पैसा मांगने गया तो*

मुझे आज कल कह कर लौटा देते। मैं दोनों लोगों के पास कई बार गया। दिनांक 28.08.2025 को समय करीब दोपहर तीन बजे मैं अपना पैसा मांगने अपने गांव के रामाधीन के घर गया तो वहां पर हीरालाल भी मौजूद था। मैंने अपना पैसा मांगा तो दोनों लोगों ने कहा कि कल हम तुम्हारे घर आकर तुम्हारा पैसा दे देंगे। दूसरे दिन शाम करीब पांच बजे दोनों लोग मेरे दरवाजे पर आये। उस समय मैं घर पर अकेला था और कहे कि अपना हिसाब किताब करके पैसा ले लो। मैंने उन दोनों लोगों को अपने घर के अंदर कमरे में बैठाया और कहा कि मेरा डेढ़ लाख रुपया का हिसाब है , उसे चुकता कर दो। इतने में दोनों लोग कहने लगे तुम्हारे पैसे का कोई लेखा जोखा नहीं है और तुम्हें हम पैसा नहीं देंगे। इतना कहने पर, मेरे व उन दोनों के बीच में कहा सुनी होने लगी तो उपरोक्त लोग मुझे जाति सूचक धोबी साले कहते हुए भद्दी -भद्दी गाली देते हुए लात घूसों से पटक कर मारने लगे और कह रहे थे कि तेरी हिम्मात कैसे हुई हमारे घर आकर पैसे मांगने की। शोर गुल सुनकर मौहल्ले के काफी लोग इकट्ठा हो गये उन लोगों के सामने भी मुझे जाति सूचक शब्दों से गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दिए। लोगों के बीच बचाव करने पर मेरी जान बची। मैंने उक्त घटना के सम्बंध में थाने पर जाकर प्रार्थना पत्र दिया, किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। "

5. विपक्षीगण रामाधीन व हीरालाल द्वारा आपत्ति दाखिल कर कथन किया गया है कि दिनांक 28.08.2025 को प्राथी सं0-2 हीरालाल, कामता नाथ स्वामी के दर्शन करने चित्रकूट गया हुआ था। प्रार्थी के साथ में गाँव के और भी व्यक्ति थे। प्रार्थी सं0-2 चित्रकूट से दिनांक 02.09.2025 को वापस आया है। प्रार्थी व परिवादी के मध्य कोई विवाद व लडाई झगडा नही हुआ है। मात्र झूठा कथन बनाते हुए माननीय न्यायालय में झूठे तथ्यों के आधार पर परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। विपक्षीगण के विरूद्ध परिवादी पूर्व में दिनांक 26.03.2025 की घटना दिखाकर माननीय न्यायालय ए०सी० जे०एम० कौशाम्बी में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173 (4) बी०एन०एस०एस० प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं0-82/2025 दाखिल किया था, जिसमें परिवादी अपने पुत्र के मुकदमे में बयान बदलवाने की बात कहते हुए पैसा देने की बात कही है। जबकि उस घटना में भी विपक्षीगण शामिल नही थे, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.05.2025 को निरस्त कर दिया था। विपक्षीगण के विरूद्ध नयी घटना परिवाद उपरोक्त में दर्शाकर मात्र परेशान करने की नीयत से माननीय न्यायालय में दाखिल किया है। जो केवल प्रार्थी/विपक्षीगण को परेशान करने के आशय से दाखिल किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को निरस्त करने की याचना की गयी है।

06. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा विपक्षीगण पर पैसे की लेन-देन को लेकर हुए वाद-विवाद में जातिसूचक शब्दों से गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी संबंधी आरोप लगाये गये हैं। जबकि विपक्षीगण द्वारा आपत्ति दाखिल कर कथन किया गया है कि तथाकथित घटना दिनांक 28.08.2025 को प्राथी सं0-2 हीरालाल, कामता नाथ स्वामी के दर्शन करने चित्रकूट गया हुआ था। प्रार्थी सं0-2 चित्रकूट से दिनांक 02.09.2025 को वापस आया है। प्रार्थी व परिवादी के मध्य कोई विवाद व लडाई झगडा नही हुआ है। मात्र झूठा कथन बनाते हुए माननीय न्यायालय में झूठे तथ्यों के आधार पर परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। थाने द्वारा भी इस आशय का आख्या प्रस्तुत किया गया है कि "मारपीट किये जाने व जाति सूचक शब्दों से अपमानित किये जाने की पुष्टि नहीं हुई, बल्कि आवेदक के नाती विनीत कुमार के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग मु.अ.सं. 02/23 धारा 363, 366, 376(3) भा.द.सं. व 3/4 पाक्सो एक्ट में वादी से सुलह समझौता कराने के नाम पर आपसी सहमति के आधार पर रूपये के लेन-देन की पुष्टि होती है।" प्रस्तुत प्रकरण में रूपये के लेन-देन को लेकर विवाद है। विपक्षीगण द्वारा अपने आपत्ति में यह कथन किया गया है कि विपक्षीगण के विरूद्ध परिवादी पूर्व में दिनांक 26.03.2025 की घटना दिखाकर माननीय न्यायालय ए०सी० जे०एम० कौशाम्बी में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173 (4) बी०एन०एस०एस० प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं0-82/2025 दाखिल किया था, जिसमें परिवादी अपने पुत्र के मुकदमे में बयान बदलवाने की बात कहते हुए पैसा देने की बात कही है, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.05.2025 को निरस्त कर दिया था। ऐसा परिलक्षीत होता है कि इसी मुकदमें में दबाव बनाने हेतु मनगढन्त एवं झूठे तथ्यों के आधार पर पेशबन्दी

में प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा विपक्षीगण पर पटक-पटक कर मारने की बात कही गयी है, परन्तु उक्त कथन के समर्थन में परिवादी द्वारा न तो कोई मेडिकल कराया गया है और न ही पत्रावली पर कोई मेडिकल रिपोर्ट दाखिल किया गया है। उपरोक्त आधार पर परिवादी द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मात्र विपक्षीगण पर दबाव बनाने के उद्देश्य से यह प्रार्थनापत्र दिया गया है। आवेदक/परिवादी द्वारा लगाये गये सम्पूर्ण आरोप बेबुनियाद, तथ्यहीन व मनगढंत प्रतीत होते हैं। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व बयानों के आधार पर घटना संदिग्ध प्रतीत होती है।

07. अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय के मत में विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता प्रतीत नही होता है। विपक्षीगण को तलब किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नही है। तद्नुसार, प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा-226 बी.एन.एस.एस. में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा-226 बी.एन.एस.एस. में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(अमित मालवीय)
विशेष न्यायाधीश/
एस.सी./एस.टी.एक्ट,कौशाम्बी।
I.D.NO-U.P.6214

Digitally signed by AMIT MALAVIYA
Date: 2026.07.14 16:20:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court